-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **उ0प्र शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन शिकंजा के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा मुख्य पेशेवर फर्जी जमानदार को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा 01 हजार से अधिक मुकदमें में ले चुका है फर्जी जमानत।**

विवरण- उ0प्र0 शासन मां0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के क्रम में आज दिनांक 06.12.2025 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस0 के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल नेतृत्व में व अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज, क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजवीर सिंह गौर के निकट पर्यवेक्षण थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा फर्जी जमानतदारों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 12.11.2025 को थाना तिन्दवारी पर कार्यरत उ0नि0 शिवकरन सिंह द्वारा फर्जी जमानत लेने के सम्बन्ध में अभियुक्त बलवीर, दिनांक 13.11.2025 को थाना स्थानीय पर कार्यरत उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह द्वारा फर्जी खसरा खतौनी देकर जमानत लेने के सम्बन्ध में अभियुक्त शिवस्वरुप व 20.11.2025 को थाना तिन्दवारी क्षेत्र के रहने वाले श्री राम सिंह ने थाना स्थानीय दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि मेरे नाम का फर्जी आधार कार्ड, खसरा खतौनी व फर्जी फोटो लगाकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कूटरचित तरीके से एनडीपीएस के अभियुक्त की मा0 न्यायालय में जमानत ली गई है। इस संबन्ध में थाना तिन्दवारी पर क्रमश: मु0अ0सं0 274/25,280/25 व 285/25 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, अभिसूचना संकलन, अभिलेखो के सत्यापन व मुखबिर खास की सूचना पर मुख्य अभियुक्त शिवस्वरुप उर्फ मास्टर को इन्द्रा नगर थाना कोतवाली नगर के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि अभी तक मेरे द्वारा फर्जी व कूटरचित तरीके से खसरा-खतौनी, आधार कार्ड व अन्य फर्जी परिपत्र का प्रयोग कर लगभग 01 हजार से अधिक मुकदमों में जमानत ली गई है। साथ ही बताया कि मै और मेरे साथियों द्वारा फर्जी परिपत्र लगाकर जनपद बांदा सहित अन्य कई जनपदों में भी जमानत ली गई है। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है व अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- शिवस्वरुप उर्फ मास्टर पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम भिंडौरा थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

वांछित अभियुक्त

1. रामबाबू उर्फ डाक्टर पुत्र कल्लू निवासी पिपरहरी थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- ➢ मु0अ0सं0- 274/25 धारा 319(2)/318(2)/318(4)/246/237 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 229/233/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।
- ➢ मु0अ0सं0-285/25 धारा 229/233/237/246/318(4)/318(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस बढोत्तरी धारा 319(2)/61(2) बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।
- ➢ मु0अ0सं0-280/25 धारा 319(2)/318(4)/318(2)/246/237 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 229/233/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह थाना प्रभारी तिन्दवारी
2. उ0नि0 शिवकरन सिंह
3. उ0 नि0 श्री दिनेश सिंह
4. उ0नि0 श्री राम आधार रावत
5. हे0कां0 बृजेश कुमार